राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdadmn.cce@gmail.com
Ph. NO. 0141-2702247 (O)

क्रमांकः–एफ–1(01)पीएस/आकाशि/2023/116 दिनांकः– 04-08-2023

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर की अनुशंषा पर प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2022 में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में प्रयोगशाला सहायक के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाकर एतद्द्वारा पदस्थापित किया जाता है :–

(भूगोल – गैर अनुसूचित क्षेत्र)

क्र. स.	मैरिट क्रमांक	नाम, पिता का नाम एवं पता	जन्म तिथि	श्रेणी	फोटो	आवंटित राजकीय महाविद्यालय
1.	48	सुमन चौधरी, पुत्री श्री गणपत लाल जाट, पता– ग्राम कंवरपुरा, पोस्ट गढवाड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर–303120	01-09-1991	OBC		ब्यावर
2.	49	धीरज कुमार नागर पुत्र श्री इन्द्रराज नागर, पता– ग्राम गैंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा–325004	19-07-1995	OBC		रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)
3.	51	अमन रोकणा पुत्र श्री सत्यनारायण, पता–46 एल.एन.पी. हरखेवाला, श्रीगंगानगर–335061	23-10-2000	OBC		तारानगर (चूरू)
4.	56	हंसा जाट पुत्री श्री रामेश्वर जाट, पता– प्रगति नया बास, मण्डा भिण्डा, चौमूं, जयपुर–303712	01-07-1997	OBC		खेतड़ी (झुन्झुनू)
5.	59	रामप्रसाद गुर्जर पुत्र श्री प्रभुदयाल गुर्जर, पता– बीड की ढाणी, ग्राम पोस्ट बगवाड़ा, तहसील आमेर जिला जयपुर–303805	13-02-1999	MBC		बिलाड़ा (जोधपुर)
6.	62	श्यामा राम कोली पुत्र श्री राम दीन कोली, पता– कोलियों की ढाणी, ग्राम रियां श्यामदास, पोस्ट जोगी मगरा, तहसील मेड़तासिटी, जिला नागौर–341511	03-07-1991	MBC		शेरगढ़ (जोधपुर)
7.	119	दिनेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री भेरू लाल गुर्जर, पता– ग्राम वाडा, पोस्ट वडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर–313203	26-11-1995	MBC		मण्डफिया (चित्तौड़गढ़)
8.	185	सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री चौथमल शर्मा, पता– ग्राम पोस्ट खोराश्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर–303704	01-12-1998	GEN-EWS		केलवाड़ा (बारां)
9.	189	रोहित कुमार सारस्वत पुत्र श्री राधेश्याम सारस्वत, पता– सारस्वतों का मोहल्ला, ब्राह्मणों की सरेरी, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा–311026	08-07-1995	GEN-EWS		बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

Signature valid
Digitally signed by Suni Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2023.08.01 19:42:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4443462

क्र. स.	मैरिट क्रमांक	नाम, पिता का नाम एवं पता	जन्म तिथि	श्रेणी	फोटो	आवंटित राजकीय महाविद्यालय
10.	208	अंजली पुरावत पुत्री श्री गज सिंह पुरावत, पता– राजपूत मोहल्ला, पुरावतों का आकोला, पोस्ट कोदू कोटा, जिला भीलवाड़ा–311011	19-12-2001	GEN-EWS		मण्डफिया (चित्तौड़गढ़)
11.	308	केहर सिंह पुत्री श्री हेत राम, पता– ग्राम भगवानसर, पोस्ट गोरखाना, नोहर, हनुमानगढ़–335523	12-08-1986	OBC (Ex Servicemen)		सरदारशहर (चूरू)
12.	6062	ख्याली राम जाट पुत्र श्री मूसा राम जाट, पता– वार्ड नं. 07, बुर्जा की ढाणी, पोस्ट खिरोटी, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर–332705	25-09-1976	OBC (Ex Servicemen)		कला अलवर
13.	6496	गीता कुमारी चौधरी पुत्री श्री कैलाश चन्द चौधरी, पता–ए–11बी, सुमेर नगर विस्तार, मानसरोवर, जयपुर–302020	05-07-1991	OBC (Widow)		नसीराबाद
14.	10856	रमन सारण पुत्री श्री गणपत राम सारण, पता– ग्राम रिडी, तहसील श्रीडूंगरगढ, बीकानेर–331803	26-12-1991	OBC (Widow)		बीदासर (चूरू)
15.	12671	मिंदू सेरावत पुत्री श्री गणपत सेरावत, पता– ग्राम बरवाड़ा, महार खुर्द, चौमूं, जयपुर–303806	04-07-1993	OBC (Widow)		दौसा

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेंगी :–

1. उक्त अभ्यर्थियों को 02 वर्ष तक परिवीक्षा काल के दौरान राज्य सरकार के नियमानुसार मासिक नियत पारिश्रमिक रूपये 18500/– देय होगा।

2. नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर वर्णित तालिका में अपने नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय/कार्यालय में पद पर कार्यभार ग्रहण कर लेवें। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 15 दिवस में उक्त अभ्यर्थी पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्यग्रहण नहीं करने दिया जायेगा।

3. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते दये होगें, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

4. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006, एफ–12(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफडी 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006, एफ–6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ–16(2)एफडी/रूल्स/98 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ–14(1) एफडी/ रूल्स/2009 दिनांक 12.10.2009 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (fix remuneration) के हकदार होगें। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एसएलपी

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.04 18:42:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4443462

25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेगी।

5. राजस्थान सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।

6. कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13) कार्मिक/क–2/23 जयपुर दिनांक 11.05.2023 के अनुसार इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे :–

"मैं ..... शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्त्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से पालना करूंगा/करूंगी। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)।"

7. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ–11/एसटी/एससी/ओबीसी एसबीसी/जा0प्र0प0/सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
8. इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य (Adverse reports) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
9. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी ।
10. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
11. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर इनको बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।
12. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर पे मेट्रिक्स लेवल संख्या L–8 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होगें।
13. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
15. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा–2022 के लिये निर्धारित मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
16. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्न मेडिकल, कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–15(1)डीओपी/ए–11/74, दिनांक 01.01.1975 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः–एफ–1(01)पीएस/आकाशि/2023/ 116 दिनांकः– 04-08-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ14(102)(1)RSSB/अर्थना/प्रयो.सहा./संयुक्त भर्ती/पात्रता जांच/2022/2120 दिनांक 31.05.2023 के क्रम में।

2– विशिष्ठ सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Suni Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.04 15:42:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4443462

3– निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4– वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5– निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6– निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7– सम्बन्धित प्राचार्य–कृपया सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यभार ग्रहण करवाकर रिपोर्ट विभाग की ई–मेल आई.डी jdadmn.cce@gmail.com या ई–डाक पर आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
8– सम्बन्धित अभ्यर्थी कृपया कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अधीक्षक, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राचार्य महोदय को प्रस्तुत करें।
9– स्थापना शाखा/कैश शाखा/गोपनीय शाखा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10– वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
11– रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

Signature valid
Digitally signed by Suman Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2023.08.04 15:42:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4443462